राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

4 APR 2019

क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक :– 04 अप्रैल 2019

आदेश

केन्द्र सरकार द्वारा जारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ठ के पृथककरण, भण्डारण, विक्रेन्दीकरण एवं प्रसंस्करण की सुनिश्चितता किये जाने हेतु एकीकृत भवन विनियम–2017 के निम्न प्रावधानों को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है:–

विनियम 8.11.4:– सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल:–

i. ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाइयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधान आवश्यक होगा जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। भूतल पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेन्दित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।

ii. 200 से अधिक आवास वाले या 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट वाली ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, संस्थानिक या अन्य गैर–आवासीय परिसर (स्वतंत्र आवासीय को छोड़कर) में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 500 वर्गमीटर गणना योग्य निर्मित क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 1.33 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 0.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। भूतल पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेन्दित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।

iii. ठोस कचरे का निस्तारण स्थानीय नगरीय निकाय के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।"

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(कन्हैयालाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायो को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम